न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र सख्या 10/2024

सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी अजमेर

– प्रार्थी

बनाम

कर्णराज खंगारोत पुत्र राम चन्द्र, निवासी 297, विकास नगर माखुपुरा जिला अजमेर

–अप्रार्थी/सुपुर्दगीगार

उपस्थितः–

1. श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी पैरोकार सरकार
2. श्री विनोद पंवार अप्रार्थी अभिभाषक

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दण्ड प्रकिया संहिता

–:आदेश:–

दिनांक 22.11.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी श्री कर्णराज खंगारोत पुत्र श्री राम चन्द्र निवासी 297 विकास नगर माखुपुरा जिला अजमेर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दण्ड प्रकिया संहिता वास्ते वाहन संख्या RJ.01 GC 9629 को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि जिला रसद अधिकारी अजमेर की विभागीय दस्ते द्वारा दिनांक 19.09.2024 को प्रातः 11 बजे माखुपुरा स्थित पार्श्वनाथ स्वीट्स प्रतिष्ठान पर सुपुर्दगीगार का लोडिग टेम्पो मय गैस सिलेण्डर के जब्त कर लिया था। उक्त वाहन माल परिवहन हेतु वैधानिक रूप से सरकारी दस्तावेज व अनापत्ति से अधिकृत है। दिनांक 19.09.2024 को अपने वाहन में व्यावसायिक उपयोग हेतु गैस सिलेण्डर परिवहन कर रहा था जिसे की वाहन चालक मोहम्मद आजम तत्समय चला रहा था। समस्त गैस सिलेण्डर माखुपुरा चौराहा से लोड किए गए थे जिन्हे की पार्श्वनाथ स्वीट्स प्रतिष्ठान पर छोड़ना था। जब्त किए हुए वाहन का पूर्ण संरक्षण व संचालन सुपुर्दगीगार द्वारा ही किया जाता था। वाहन का स्वामित्व सुपुर्दगीगार में ही निहित है एवं व्यापार के प्रचलित तरीके के अनुरूप ही गैस सिलैण्डर का परिवहन किया जा रहा था। अतः वाहन सुपुर्दगीनामें पर सुपुर्दगीगार को सुपुर्द्व करने के आदेश प्रदान करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर टिप्पणी हेतु जिला रसद अधिकारी अजमेर को लिखा गया। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पेरोकार सरकार ने टिप्पणी प्रस्तुत कर बहस में निवेदन किया गया कि दिनांक 19.09.2024 को घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध रिफिलिंग

जिला कलक्टर
अजमेर

के विरूद्व अभियान के तहत नीरज कुमार जैन प्रवर्तन अधिकारी हमराह श्री हेमन्त कुमार आर्य प्रर्वतन अधिकारी, श्री खान मोहम्मद खान प्रवर्तन अधिकारी, श्री जगदीश प्रसाद शर्मा प्रवर्तन अधिकारी, सुश्री उर्मिला सेहर प्रवर्तन निरीक्षक, श्री महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक, श्री राहुल वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक संयुक्त जांच दल मैसर्स पार्श्वनाथ स्वीट्स, एस.बी.आई के सामने परबतपुरा बाईपास पर पहुँचे। मौके पर पार्श्वनाथ स्वीट्स के पीछे वाले रोड पर 01 अतुल टैम्पो रजि0 नं0 R.J.36 GA 2391 खडा पाया जिसमें 28 घरेलू सिलेण्डर भारत कम्पनी के थे उसके आगे 04 सिलेण्डर रोड पर रखे थे। उसके आगे 01 टाटा मैजिक टैम्पो एस क्रीम कलर R.J.01 GC 9629 खडा पाया, जिसमें 04 वाणिज्यिक सिलेण्डर भारत कम्पनी के 02 एच.पी. कम्पनी के घरेलू सिलेण्डर रखे पाये गये। मौके पर पार्श्वनाथ स्वीट्स के पीछे के दरवाजे से प्रवेश करने पर 04 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) बरामद हुये तथा मौके पर 01 इण्डेन सिलेण्डर तथा 01 एच.पी. घरेलू सिलेण्डर भट्टी पर लगा हुआ पाया, जिन पर पूडिया बन रही थी जिससे स्पष्ट होता है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग होना पाया। मौके पर टाटा मैजिक रजि0 नं0 R.J.01 GC 9629 के ड्राइवर श्री मोहम्मद आजम पुत्र श्री सांवत खान निवासी हटूण्डी ने बताया कि किसी ज्ञानी रावत नाम व्यक्ति से 1400 रूपये प्रति सिलेण्डर की रेट से लाकर 1500 रूपये में हलवाई आदि को बेच देता है यह कार्य वह सात दिनो से कर रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि श्री मोहम्मद आजम पूरी तरह से गैस के अवैध कारोबार में लिप्त है। उक्त टैम्पो में 01 व्यवसायिक सिलेण्डर 19 किग्रा भरा हुआ 03 व्यावसायिक सिलेण्डर 19 किग्रा खाली पाये गये, जो कि भारत कम्पनी व एच.पी. कम्पनी के पाये जो राजहित में कब्जे राज लेकर जब्त सरकार किया गया। इस वाहन की तलाशी लेने पर गैस सिलेण्डरो पर लगने वाली सेफ्टी कैप की सीलो का बण्डल (इण्डेन कम्पनी) का बरामद हुआ, जिसमें एक रोल पूरा तथा लूज सीले बरामद हुयी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एल.पी.जी की अवैध कालाबाजारी का कार्य अत्यंत सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है तथा मौके पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः जब्तशुदा टाटा मैजिक रजि0 नं0 R.J.01 GC 9629 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश प्रदान करावे।

दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के निस्तारण में समय लगेगा इस दौरान वाहन खराब हो जावेगा जबकि पिछले काफी समय से वाहन के खड़े रहने से डेमेज हो गया है इसलिये वाहन के समुचित रख रखाव के लिए उपरोक्त वाहन संख्या R.J.01 GC 9629 को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ा जाने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 19.09.2024 को घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध रिफिलिंग के विरूद्व अभियान के तहत नीरज कुमार जैन प्रवर्तन अधिकारी हमराह श्री हेमन्त

जिला कलक्टर
अजमेर

कुमार आर्य प्रवर्तन अधिकारी, श्री खान मोहम्मद खान प्रवर्तन अधिकारी, श्री जगदीश प्रसाद शर्मा प्रवर्तन अधिकारी, सुश्री उर्मिला सेहर प्रवर्तन निरीक्षक, श्री महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक, श्री राहुल वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक संयुक्त जांच दल मैसर्स पार्श्वनाथ स्वीट्स, एस.बी.आई के सामने परबतपुरा बाईपास पर पहुँचे। मौके पर पार्श्वनाथ स्वीट्स के पीछे वाले रोड पर 01 अतुल टैम्पो रजि0 नं0 R.J.36 GA 2391 खडा पाया जिसमें 28 घरेलू सिलेण्डर भारत कम्पनी के थे उसके आगे 04 सिलेण्डर रोड पर रखे थे। उसके आगे 01 टाटा मैजिक टैम्पो एस क्रीम कलर R.J.01 GC 9629 खडा पाया, जिसमें 04 वाणिज्यिक सिलेण्डर भारत कम्पनी के 02 एच.पी. कम्पनी के घरेलू सिलेण्डर रखे पाये गये। मौके पर पार्श्वनाथ स्वीट्स के पीछे के दरवाजे से प्रवेश करने पर 04 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) बरामद हुये तथा मौके पर 01 इण्डेन सिलेण्डर तथा 01 एच.पी. घरेलू सिलेण्डर भट्टी पर लगा हुआ पाया, जिन पर पूडिया बन रही थी जिससे स्पष्ट होता है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग होना पाया। मौके पर टाटा मैजिक रजि0 नं0 RJ.01 GC 9629 के ड्राइवर श्री मोहम्मद आजम पुत्र श्री सांवत खान निवासी हटूण्डी ने बताया कि किसी ज्ञानी रावत नाम व्यक्ति से 1400 रूपये प्रति सिलेण्डर की रेट से लाकर 1500 रूपये में हलवाई आदि को बेच देता है यह कार्य वह सात दिनो से कर रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि श्री मोहम्मद आजम पूरी तरह से गैस के अवैध कारोबार में लिप्त है। उक्त टैम्पो में 01 व्यवसायिक सिलेण्डर 19 किग्रा भरा हुआ 03 व्यावसायिक सिलेण्डर 19 किग्रा खाली पाये गये, जो कि भारत कम्पनी व एच.पी. कम्पनी के पाये जो राजहित में कब्जे राज लेकर जब्त सरकार किया गया। इस वाहन की तलाशी लेने पर गैस सिलेण्डरो पर लगने वाली सेफ्टी कैप की सीलो का बण्डल (इण्डेन कम्पनी) का बरामद हुआ, जिसमें एक रोल पूरा तथा लूज सीले बरामद हुयी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एल.पी.जी की अवैध कालाबाजारी का कार्य अत्यंत सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है तथा मौके पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार उक्त कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 के खण्ड 3(1)(सी) के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लघंन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है अप्रार्थी ने रजि. वाहन नं0 RJ.01 GC 9629 को उसे सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने की प्रार्थना की है। अतः जब्तशुदा उपरोक्त वाहन रजि0 नं0 RJ.01 GC 9629 के गैस में प्रथम दृष्टया अवैध करोबार में लिप्त होने के फलस्वरूप रूपये 50,000/-अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र की शास्ति राशि आरोपित की जाती है। जिला रसद अधिकारी अजमेर को आदेशित किया जात हैं कि सम्बन्धित वाहन मालिक द्वारा शास्ति राशि अदा करने पर जब्त किए गये उपरोक्त वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो स्वामित्व बाबत् सन्तुष्ट होने पश्चात् सम्बन्धित को सुपुर्द कर दिया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर * अजमेर *

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.11.2024 को बाद हस्ताक्षर के सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर